RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-05
May-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : कृषि क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन का अध्ययन

[1]डॉ0 कौशलेन्द्र विक्रम मिश्र; [2]विपिन कुमार मिश्र

एसोसिएट प्रोफेसर', अर्थशास्त्र विभाग, श्री गांधी पी0 जी0 कालेज मालटारी, आजमगढ़, उ0प्र0–222001,भारत.
शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग, श्री गांधी पी0 जी0 कालेज मालटारी, आजमगढ़, उ0प्र0–222001,भारत.

ARTICLE DETAILS
Article History
Published Online: 25 May 2019

Keywords
GDP, Insurance Agriculture, Risk Management, Crop Insurance, NAIS, MNAIS, PMFBY.

ABSTRACT
कृषि आधारित उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए काफी अहम् है। आज भी कृषि एक बड़े हिस्से के रूप में आजीविका का माध्यम बनी हुई है। वर्ष2014 – 15में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस सेक्टर ने करीब 13फीसदी का योगदान दिया था। वर्ष 1971 से कृषि में लगे श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्र भारत की अधिकांश जनसंख्या, विषेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, के लिए आजीविका का मुख्य साधन है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। खाद्य सुरक्षा ,ग्रामीण, रोजगार और पर्यावरण तकनीक जैसें की मृदा संरक्षण ,प्राकृतिक संसाधनो का प्रबंधन आदि के सन्दर्भ में स्थायी कृषि समग्र ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। समग्र ग्रामीण विकास हेतु भारतीय कृषि क्षेत्र हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति एवं नीली क्रांति का द्योतक रहा है। भारत में कृषि आसानी से देश के प्रमुख व्यवसायों में से एक है। दुर्भाग्य से, प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, सूखा आदि) की संभावना के कारण भारत में कृषि किसानों के लिए एक जोखिम भरा व्यवसाय हो सकता है। कृषि उत्पादों की घटती–बढ़ती कीमतें भी चिंता का स्रोत रही हैं। देश में किसानों की खातिर सरकार ने कृषि से जुड़े भारी जोखिम को हल्का करने के लिए फसल बीमा शुरू किया है। वर्ष 1985में भारत में फसल बीमा की शुरुआत की गई थी जब सातवीं पंचवर्षीय योजना की घोषणा की गई थी। उस समय, सभी प्रमुख फसल उत्पादन को एक योजना ऑल रिस्क कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (सीसीआईएस) के दायरे में लाया गया था। वर्ष 1999 में सीसीआईएस की जगह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुई। निजी खिलाड़ियों ने वर्ष 2003 में बाजार में प्रवेश किया। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने असमान कीमतों और अनिश्चित पैदावार के जोखिमों से कृषि क्षेत्र की रक्षा करने के लिए फरवरी, वर्ष 2016 में "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" (पीएमएफबीवाई) को प्रारंभ किया।[1] प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक अग्रणी फसल बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य देश के कृषक समुदाय की प्राकृतिक आपदाओं और आपदाओं के परिणामस्वरुप उत्पन्न होने वाले जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना है व इसके पूर्व में संचालित दो फसल बीमा योजना "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" (एनएआईएस) और "संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" (एमएनएआईएस) जैसी योजनाओं पर बढत प्रदान करना है। इस खंड में कृषि से संबंधित उत्पादों, अनुसंधान सरकार की विभिन्न नीतियों, योजनाओं, कृषि ऋण, कृषि उत्पादों के बाजार मूल्य, इत्यादि के बारे जानकारी प्रदान की गई है।

प्रस्तावना:

भारत में कृषि आसानी से देश के प्रमुख व्यवसायों में से एक है। लगभग52 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि उपज वाली फसलों पर निर्भर हैं। देश के समग्र सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 16फीसद है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान लगभग 22प्रतिशत है जबकि 65– 70प्रतिशत जनसंख्या वर्तमान में कृषि पर निर्भर है। ऐसी स्थिति के फलस्वरूप बेहतर कृषि प्रबंधन पर जोर देना नितांत आवश्यक हो गया है। बेहतर कृषि प्रबंधन के द्वारा ही ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित 4 प्रतिशत की वृद्धि दर को प्राप्त किया जा सकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के सभी राज्यों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी क्योंकि कृषि राज्य का विषय है। लक्षित दर को प्राप्त करने की समयावधि समाप्त होने में अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। राज्य सरकार के प्रयासों में और तेजी लाने के उद्देश्य से केन्द्र द्वारा पोषित कई योजनाएं भी समय–समय पर लागू की गई जिससे देश के कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और देश को भविष्य में खाद्य संकट की स्थिति से बचाया जा सके।[2] वर्ष 1985में भारत में फसल बीमा की शुरुआत की गई थी जब सातवीं पंचवर्षीय योजना की घोषणा की गई थी। उस समय, सभी प्रमुख फसल उत्पादन को एक योजना ऑल रिस्क कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (सीसीआईएस) के दायरे में लाया गया था । 1999में सीसीआईएस की जगह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लाग हुई। निजी कंपनियों ने वर्ष 2003 में बाजार में प्रवेश किया

RRIJM 2015, All Rights Reserved

। कृषि में शामिल जोखिमों को ध्यान में रखते हुए रखते हुए और विभिन्न जोखिमों के विरुद्ध कृषक समुदाय का बीमा करने के लिए "*कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय*" ने वर्ष 1985 में फसल बीमा योजना शुरू की और उसके बाद हितधारकों राज्यों व कृषक समुदाय आदि के अनुभव और विचारों के आधार पर समय–समय पर पूर्वर्ती योजना "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" (एनएआईएस) और "संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" (एमएनएआईएस) में सुधार लाया जाता रहा हैं। पूर्व की योजनाएँ एनएआईएस (NAIS) और डब्ल्यूबीसी (WBIC) की तरह पहले शुरू की गई । इसी संदर्भ में भारत सरकार असमान कीमतों और अनिश्चित पैदावार के जोखिमों से कृषि क्षेत्र की रक्षा करने के लिए फरवरी, वर्ष 2016 में "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" (पीएमएफबीवाई) को प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक अग्रणी फसल बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य देश के कृषक समुदाय की प्राकृतिक आपदाओं और आपदाओं के परिणामस्वरुप उत्पन्न होने वाले जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना है व पूर्व में संचालित दो फसल बीमा योजना "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" (एनएआईएस) और "संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" (एमएनएआईएस) जैसी योजनाओं पर ब<त प्रदान करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल रबी की फसल को 1.5 प्रतिशत, खरीफ की फसल को 2 प्रतिशत, बागवानी व कृषि फसलों के लिए 5 प्रतिषत का प्रीमियम निर्धारित किया गया है। वर्ष 2018&19 के अंतरिम बजट से कृषि क्षेत्र को प्राप्त कुल व्यय में "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" को 14,000 करोड़ रुपएँ आवंटित किया गया है, अतः यह 154 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है जो पिछले वर्ष 2017&18 बजट से 12,975 करोड रुपएँ आवंटित राशि से अधिक हैं। इस योजना के परिव्यय में भारी वृद्धि से पता चलता है कि सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह सभी किसानों का बीमा कराएं और फसल&उपज हानि की स्थिति में उन्हें वित्तीय सहायता और ऋण के प्रवाह की आश्वासन दे।[3] प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी कृषक समुदाय को राज्यवार बीमाकृत की राशि प्रदान की जाएगीं जिससे राज्यवार कृषक समुदाय लाभान्वित होंगे। यह शोध पत्र जो वर्ष 2016 में खरीफ मौसम से प्रारंभ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की प्रभावकारिता को देखने की कोशिश करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2019के अनुसार भारत में सभी किसानो को उनकी फसलो के लिये बीमा प्रदान किया जायेगा। यदि भारतीय किसानो के साथ भविष्य मे उनकी फसल को किसी भी प्रकार की हानि व क्षति होती है तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उन सभी किसानों के उनकी फसलों मे हुई हानि के अनुसार धन सहायता प्राप्त की जायेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2019किसानों को प्रोत्साहित करने तथा खेती मे उनकी निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिये चालायी गयी हैं। इस योजना का उददेश्य किसानों को सशक्त करना तथा भारत को विकसित देशो की ओर अग्रसरित करना है। यह योजना निश्चित रूप से देश के किसानों मे आत्मबल को बढ़ावा देगा तथा उन्हे अच्छी खेती करने के लिये प्रोत्साहित करेगा ।[4]

साहित्य की समीक्षा

इस संदर्भ में कई अन्य शोधकार्य भी विगत वर्षों में किये गये है जिनमें से कुछ अध्ययनों का विवरण निम्नलिखित है :

1.कट्टारकंडी, ब्रीजेष, उत्तम देव और सिंथिया बंटीलानं [5] (2014): अपने शोध लेख में भारत में वर्षा बीमा से संबंधित अध्ययन करते है, शुष्क भूमि खेती से संबंधित जोखिम का अध्ययन किया हैं। उन्होंने अपने अध्ययन में वर्षा बीमा योजनाएं व इसके परिचालन संबंधित तौर तरीके–पात्रता मानदंड के रूप में, प्रीमियम का भुगतान, लाभ संरचना व भुगतान और तकनीकी बाधाओं का अध्ययन किया हैं। इन्होंने परिकल्पना की जांच व वर्षा बीमा के कम प्रसार को इसके साथ जोड़ा कि स्थिति जहां संभावित खरीदार संबंधी नहीं थे उनके नियमित प्रदर्शन के लिए उत्पाद, यह अध्ययन रेखांकित करता हैं।

2.लोपमुद्रा और धालीवाल [6] (2014): ने पंजाब राज्य में कार्यात्मक कृषि बीमा योजनाओं की समीक्षा की सूक्ष्मदर्शी और मैक्रोस्कोपिक रूप से देश में, भारत ने 01. 09.1972 के बाद फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया है जो समय–समय पर शुरू की गई है, इसके सभी रूपों में विभिन्न दोष है, फिर भी भारत अकेला नहीं है। जहाँ 'सार्वजनिक फसल बीमा योजना' सफल नहीं हुआ।

3.प्रोस्पर वाई, दादसन [7](2014): में उनके शोध लेख के रूप में फसल बीमा की सम्भावनाएं अलग–अलग फसलों को किसानों के बीच जोखिम प्रबंधन उपकरण घाना में वे इच्छाओं का आकलन करना चाहते थें।

4.डेनियल दानिगां, झागं कियाओं [8] (2014): ''अन्तर्राष्ट्रीय जनरल ऑफ साइंस एंड ह्यूमेनिटीज'' अपने शोध लेख में, कारक को प्रभावित करने वाले दृष्टिकोण से

तंजानिया में सूखा बीमा के लिए किसान व सूखा बीमा क्षेत्र के प्रति किसानों को मूल्यांकन।

5.वोल्फगैंग बोकेलमैन और जेसन स्कॉट एनट्सिंगर [9] (2014): में उनके शोध लेख में किसानों से प्रभावित कारक पर्यावरणीय गिरावट के लिए अनुकूलन रणनीतियों और जलवायु परिवर्तन प्रभाव का एक फार्म स्तर के अध्ययन में बांग्लादेश में उन्होंने उसके अनुकूलन की जाँच की है।

6.बंटीलानं [10] (2014): ने बारिश बीमा योजनाओं और इसकी परिचालानात्मक विधियों का अध्ययन किया। जैसे–पात्रता मानदंड, प्रीमियम का भुगतान, लाभ संरचना भुगतान, और तकनीकी बाधायें यह निम्न परिकल्पना की जॉच करता है।

7.क्रियानुष एट और अल [11] (2012): "इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ईरान" ने एक जोखिम प्रबंधन रणनीति के रूप में फसल बीमा योजना शुरू करने के लिए रोडमैप तैयार किया। ईरान के किसान यह अध्ययन माध्यमिक और प्राथमिक आँकड़ों और सूचनाओं दोनों पर आधारित है। यह एक सर्वेक्षण अनुसंधान था।

अध्ययन की आवश्कता

कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्र भारत की अधिकांश जनसंख्या, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, के लिए आजीविका का मुख्य साधन है।यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। खाद्य सुरक्षा ,ग्रामीण रोजगार और पर्यावरण तकनीक जैसे की मृदा संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनो का प्रबंधन आदि के सन्दर्भ में स्थायी कृषि समग्र ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। भारत में कृषि 60 प्रतिषत के साथ मानसून पर निर्भर करती हैं। इस तथ्य को देखते हुए जून–सितंबर की अवधि में 75 प्रतिषत वर्षा होती है, खरीफ फसल दक्षिण–पश्चिम मानसून पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार भारत में किसान समुदाय दया की भावना से बना हुआ हैं। किसानों के सामने आने वाली संकट का स्पष्ट रूप से सामना किया जाता हैं। यह अध्ययन उन सिफारिशों के साथ शुरू हुआ है, जिनके संबंध में ग्रामीण लोगों को शिक्षित किसानों को दिया जाने वाला धोखा से संरक्षित करना हैं। आम किसानो के बीच अविश्वास पैदा करने करने के लिए एक मजबूत आवश्यक कदम हैं। इन योजनाओं का उद्देष बेईमान सलाहकारों द्वारा निर्दोष वाली कंपनियों का विरोध करता हैं। यह शोध पत्र जो वर्ष 2016 में खरीफ मौसम से प्रारंभ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की प्रभावकारिता को देखने की कोशिश करता है। इस शोधपत्र में पिछले वर्ष की फसल बीमा योजनाओं की तुलना में वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य है–

1. कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फसलों को प्राप्त होने वाले बीमाकृत राषि पर ध्यान आकर्षित करना।
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को होने वाले लाभ का अध्ययन।
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कार्यरत बीमित कंपनियो पर ध्यान आकर्षित करना ।
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के महत्व पर प्रकाश डालना।

पीएमएफबीवाई के तहत फसलों और प्रीमियम का विस्तार

क्र०स०	फसल	किसानों द्वारा देय बीमा राशि का प्रतिशत
1	रबी	1.5%
2	खरीफ	2.0%
3	वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसले	5.0%

Source:pmfby.gov.in.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गतिविधि का कैलेंडर

गतिविधि कैलेंडर	खरीफ फसल	रबी फसल
अनिवार्य आधार पर लोनी किसानों के लिए स्वीकृत ऋण।	अप्रैल से जुलाई तक	अक्टूबर से दिसम्बर तक
किसानों के प्रस्तावों की प्राप्ति के लिए कट ऑफ तारीख (ऋणदाता और गैर–ऋणदाता)।	31जुलाई	31दिसम्बर
उपज आंकड़ा प्राप्त करने के लिये कट आफ तारीख	अतिंम फसल के एक महीने के भीतर	अतिंम फसल के एक महीने के भीतर

Source:pmfby.gov.in.

संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2019

प्रकार	वर्ष 2016के लिये	वर्ष 2019के लिये
किसान द्वारा देय प्रीमियम धनराशि	रू 900	रू 600
शत&प्रतिशत नुकसान की दशा में किसान को प्राप्त धन राशि	रू 15000	रू 30000

Source:pmfby.gov.in.

सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 के कारण भारत के अधिकांश किसानों को फसल क्षति में मदद करेगी। खेती में रुचि रखने वाले किसानों को ध्यान में रखते हुए और स्थायी आय प्रदान करते हुए इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसलों में होने वाले नुकसान और चिंताओं से मुक्त करना है। किसानों को लगातार खेती करने के लिए बढ़ावा देना होगा और भारत को विकसित और प्रगतिशील बनाना होगा। कृषि उत्पादक (जिनमें रैंचर्स, किसान और अन्य) फसल बीमा खरीदते हैं ताकि कृषि जिंसों की कीमतों में गिरावट के कारण राजस्व के नुकसान से खुद को बचाया जा सके या प्राकृतिक आपदाओं (जैसे बाढ़, ओले, कीट, रोग, सूखा आदि) के कारण उनकी फसलों के नुकसान से बचा जा सके । फसल–राजस्व बीमा और फसल उपज बीमा फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणियां हैं।

फसल बीमा योजनाएं प्रदान करने वाली सामान्य बीमा कंपनियों की सूची निम्नलिखित हैं:

- रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड)Reliance General Insurance Co. Ltd.)
- चोलमडालम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.(
- एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड)Agriculture Insurance Company of India Ltd.)
- इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड)IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd.)
- एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड)HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.(
- आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.(

RRIJM 2015, All Rights Reserved

- फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड)Future Generali India Insurance Company Limited(.
- बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड)Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd(
- यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी)Universal Sompo General Insurance Company Limited)
- एसबीआई)SBI) [12]

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा एकत्र किए गए 70वें दौर के स्थिति आकलन सर्वेक्षण आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए, घरेलू स्तर पर फसल बीमा के प्रदर्शन की जांच की जाती है और इसके अपनाने का निर्धारण करने वाले कारकों की पहचान सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग करके की जाती है। इसके बाद योजना के ढांचे को और बारीकी से देखकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विश्लेषण किया जाता है।[13] तालिका में वर्ष 2019में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सबसे अधिक किसानों का नामांकन हुआ है, लगभग 1.66 मिलियन यूएस डॉलर का हैं उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा एवं उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्य के किसान नामांकित हुए हैं सबसे कम महाराष्ट्र में किसान नामांकित हुए हैं। इस योजना में छत्तीसगढ़ के राज्य के किसानों ने सबसे अधिक हिस्सेदारी प्रदर्शित है, उसके बाद महाराष्ट्र के किसानों सबसे कम हिस्सेदारी व्यक्त की है। नीचे दिए गए तालिका में प्रदर्शित है %

Progress of PMFBY Kharif 2019 till 15-Aug-2019				
State	No of Farmers Enrolled	Area	Sum Insured (Rs in Lakh)	Farmer Share (Rs in Lakh)
CHHATTISGARH	1,65,639	2,24,788	85,143	1,703
JHARKHAND	35,464	30,524	17,043	341
MAHARASHTRA	2	2	2	0
ODISHA	9,69,197	3,88,432	2,64,385	5,293
RAJASTHAN	9,48,321	10,54,750	2,90,045	6,048
TRIPURA	29,350	5,063	3,050	61
UTTAR PRADESH	63,556	39,618	19,857	397

Source: Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, pmfby.gov.in.

तालिका में एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत के अलग–अलग राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ और रबि फसल की आरक्षित सांख्यिकीय को प्रदर्शित किया गया है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

Coverage statistics of HDFC ERGO GIC for PMFBY Scheme from Kharif 2016 to Rabi 2018-19				
Season	State	No. of Farmers Insured	Area Insured	Farmers Share of Premium (in Rs Lakh)
Kharif 2016	Goa	96	63	1
	Gujarat	14,31,139	20,56,153	15,893
	Madhya Pradesh	5,28,430	13,89,282	4,828
	Maharashtra	19,17,093	9,62,106	7,647
	Odisha	2,73,989	2,09,677	1,989
Rabi 2016-17	Goa	1	1	0
	Madhya Pradesh	4,96,823	10,31,753	4,455
Kharif 2017	Assam	14,981	11,097	133
	Goa	45	23	0
	Madhya Pradesh	4,74,673	9,63,848	5,339
Rabi 2017-18	Karnataka	1,870	1,581	20
	Madhya Pradesh	5,01,230	10,82,747	5,053
	Odisha	11,248	7,354	47
Kharif 2018	Andhra Pradesh	2,25,051	1,85,873	4,779
	Assam	2,620	1,611	19
	Chhattisgarh	2,68,899	3,94,638	2,876
	Goa	9	6	0
	Madhya Pradesh	4,38,366	10,46,142	6,230
	Rajasthan	6,68,158	8,96,463	5,917
	West Bengal	6,66,764	2,83,950	-
Rabi 2018-19	Madhya Pradesh	5,13,885	11,14,956	5,389
	Rajasthan	6,70,253	6,24,165	4,070

Source: Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, pmfby.gov.in.

तालिका में एचडीएफसी एर्गो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पुनर्गठित फसल बीमा योजना के तहत खरीफ और रबि फसल की आरक्षित सांख्यिकीय को प्रदर्शित करता है।

Coverage statistics of HDFC ERGO GIC for RWBCIS Scheme from Kharif 2016 to Rabi 2018-19				
Season	State	No. of Farmers Insured	Area Insured	Farmers Share in Premium (in Rs Lakh)
Kharif 2016	Assam	29,373	21,990	246
	Madhya Pradesh	2,34,510	1,77,020	4,052
	Uttarakhand	10,138	5,486	229
Rabi 2016-17	Madhya Pradesh	1,38,971	90,905	2,738
Kharif 2017	Andhra Pradesh	7,68,238	11,96,345	10,431
	Madhya Pradesh	1,60,254	81,923	3,459
	Maharashtra	11,409	12,913	506
Rabi 2017-18	Himachal Pradesh	27,584	4,223	271
	Madhya Pradesh	1,46,707	1,03,384	3,113
	Maharashtra	60,376	74,112	4,340
Kharif 2018	Karnataka	19,533	12,024	755
	Madhya Pradesh	1,24,950	77,064	3,560
Rabi 2018-19	Madhya Pradesh	1,67,328	1,26,305	3,820

Source: Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, pmfby.gov.in.

RRIJM 2015, All Rights Reserved

तालिका में एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से उत्पन्न होने वाले विभिन्न राज्यों के किसानों के अनुरोध को एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

Claims statistics of HDFC ERGO GIC for PMFBY Scheme from Kharif 2016 to Rabi 2018-19					
Season	State	Claim Paid (in Rs Lakh)	No. of farmers against paid Claims	Claims Outstanding (in Rs Lakh)	Reason for pendency
Kharif 2016	Goa	-	-	-	
	Gujarat	73,071	4,28,902	-	
	Madhya Pradesh	85,862	3,56,097	-	
	Maharashtra	30,372	7,15,790	-	
	Odisha	2,557	17,187	-	
Rabi 2016-17	Goa	-	-	-	
	Madhya Pradesh	1,211	12,001	-	
Kharif 2017	Assam	10	121	-	
	Goa	0	4	-	
	Madhya Pradesh	46,996	2,35,377	39	NEFT Rejected
Rabi 2017-18	Karnataka	17	144	0	
	Madhya Pradesh	-	-	953	Subsidy not received from state
	Odisha	291	2,794	-	
Kharif 2018	Andhra Pradesh	13,428	47,433	3,568	Partial Subsidy
	Assam	-	-	2	Subsidy pending
	Chhattisgarh	21,412	93,913	12	CSC farmer_NEFT rejected
	Goa				
	Madhya Pradesh	-	-	5,611	Subsidy pending
	Rajasthan	10,380	49,708	32,211	Subsidy pending
	West Bengal	3,524	47,114	776	Partial Subsidy
Rabi 2018-19	Madhya Pradesh	-	-	-	Subsidy pending
	Rajasthan	-	-	-	Subsidy pending

Source: Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, pmfby.gov.in.

निष्कर्ष एवं सुझाव :जोखिम कृषि का एक अंतर्निहित हिस्सा है। इसीलिए जरूरी है कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक इस संदर्भ में एक अग्रणी फसल बीमा योजना हैं। इन योजनाओं का एक और नुकसान उच्च दावा प्रीमियम अनुपात रहा है । इस सब के बावजूद भारत दुनिया में फसल बीमा का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है, हालांकि देश में 20 प्रतिशत से भी कम किसानों का बीमा है। फसल बीमा योजनाओं को व्यापक व जोखिम सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृषि ऋणों से जोड़ा गया है, लेकिन इससे किसानों पर ऋणों का भार बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें प्रीमियम के साथ ऋण व ब्याज दर दोनों का भुगतान करना पड़ता हैं। अतः फसल को पारदर्शी तरीके से एक निश्चित अवधि के अंदर और स्वचालित मौसम स्टेशन ड्रोन और उपग्रहों जैसे उच्च तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, फसल क्षति आकलन के एक हफ्ते के अंदर किसानों के खातों में प्रत्यक्ष रूप से मुआवजा का भुगतान किया जाना चाहिए। इस योजना की सफलता और किसानों को सही उपचार के लिए मृदा की गुणवत्ता के लिए लिटमस परीक्षण होना चाहिए, जिससे कृषि में होने वाले जोखिमों को कम किया जा सकता है।

संदर्भ सूची :

1. Ministry of Agriculture and farmers Welfare Government India annual report 2018-19. www.wap.co.in
2. India waterportal.org.
3. Pradhanmantri fasal Bima Yojana: An assessment of India's Crop Insurance Scheme O R F Issues Brief No. 296, May 2019, Observer Research Foundation..

RRIJM 2015, All Rights Reserved

4. National portal of India, india.gov.in.
5. Kaattarkandi Byjesh, Uttam Deb and Cynthia Bantilan. Rainfall Insurance in India: Does it Deal with Risks in Dry land Farming?| paper presented at the 8th Conference of the Asian Society of Agricultural Economists (ASAE) held on 15-17 October 2014 at the BRAC Centre for Development Management (BRAC CDM), Savar, Dhaka, Bangladesh,2014.
6. Lopamudra Mohapatra, R K Dhaliwal. Review of Agriculture Insurance in Punjab state of India, ISSN 2320-5407, International Journal of Advanced Research. 2014; 2(5):459-467.
7. Wie, Dadson Awunyo-vitor. Prospects of Crop Insurance as a Risk Management Tool among Arable Crop Farmers in Ghana|, Asian Economic and Finacial Review 2014; 4(3):341-354.
8. Philip Daniel Daninga Zhang Qiao. Factors affecting attitude of farmers towards drought insurance in, Tanzania |, International Journal of Science Commerce and Humanities 2014.
9. Wolfgang Bokelmann and Jason Scott Entsminger (2014) ,in their research article- Factors Affecting farmers 'Adaptation Strategies to Environmental Degradation and Climate Change Effects: A Farmer Level Study in Bangladesh, 2014,2,223-241; ISSN 2225-1154, www.mpdi.com/Journal/Climate,2014.
10. Bantilan Rainfall Insurance in India: Does it Deal with Risks in Dry land Farming?| paper presented at the 8th Conference of the Asian Society of Agricultural Economists (ASAE) held on 15-17 October 2014 at the BRAC Centre for Development Management (BRAC CDM), Savar, Dhaka, Bangladesh,2014.
11. Kriyanoush Ghalavand, Agriculture Insurance as a Risk Management Strategy is Climate Change Scenario: A study in Islamic Republic of Iran, International Journal of Agriculture and Crop Sciences. Available online at www.ijagcs.com, IJACS/ 2012 / 4-13 / 831 – 838, ISSN 2227-670X@2012 IJACS Journal.2012
12. Crop Insurance Scheme | Agriculture Insurance Online. Bankbazaar.com
13. Pmfby.gov.in.

RRIJM 2015, All Rights Reserved